मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

// विज्ञापन //

विज्ञापन क्रमांक : 141/परीक्षा/सी.जे./2021 दिनाँक– 21/12/2021

व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2021

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि	:–	29 दिसम्बर, 2021 दोपहर 12:00 (P.M.) बजे से
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि (भुगतान सहित)	:–	27 जनवरी, 2022 रात्रि 11:55 (P.M.) बजे तक
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि	:–	बाद में अधिसूचित की जावेगी
मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि	:–	बाद में अधिसूचित की जावेगी

:: महत्वपूर्ण बिंदु ::

1. आवेदकों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।
2. आवेदक ऑनलाइन फार्म में कोई भी प्रविष्टी अर्हताकारी अंकसूची/प्रमाण–पत्र से भिन्न नहीं करेंगे। सम्यक् व सही रूप से भरे गये आवेदन–पत्र, जिनके साथ विहित शुल्क अदा किया गया है, मान्य होंगे अन्यथा नहीं।
3. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः आवश्यक अर्हता प्राप्त आवेदक ही आवेदन करें।
4. आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

5. परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।

6. यदि किसी आवेदक ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दी गई है, तो किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

7. **नकल प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने अथवा अनुचित साधन अपनाये जाने, पर उसे स्थायी रूप से म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा।**

8. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) के रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट– www.mphc.gov.in के माध्यम से उल्लिखित दिनांक व समय से अंतिम दिनांक के निर्धारित समय तक आमंत्रित किये जायेंगे।

9. ऑनलाइन आवेदन भरने के सामान्य निर्देश विज्ञप्ति में दिये गये हैं। आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले लिंक www.mphc.gov.in पर क्लिक करके निर्देशों को सावधानीपूर्वक देख व पढ़ लें। यह विज्ञापन, निर्देश सहित, म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट–www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।

पद का विवरण

व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर)

(क) **श्रेणी** – राजपत्रित द्वितीय श्रेणी।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

(ख) **वेतनमान**– रू. 27700–770–33090–920–40450–1080–44770 एवं प्रचलित दर अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते।

खण्ड – "अ"

एक – रिक्त पदों की संख्या :

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत **रिक्त कुल–123 व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड (प्रवेश स्तर) के अस्थायी पदों के लिये** निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद वर्गवार निम्नानुसार हैं –

स.क्र.	संवर्ग	पद
01	अनारक्षित	62
02	अनुसूचित जाति	19
03	अनुसूचित जनजाति	25
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	17
	कुल योग	**123**

नोट –(1) म.प्र. राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।

(2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें। "अन्य पिछड़ा वर्ग" की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो "क्रीमीलेयर" के अन्तर्गत नहीं आते हों।

(3) उपरोक्त पदों (123) में से स्थायी दिव्यांग (Specially Abled) आवेदकों को "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट के क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात् जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा, उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी (अर्थात् आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा)।

(4) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

(5) म.प्र. न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1994 नियम 16. कक के तहत :–

"आवेदक नियमित नियुक्ति पर, पांच लाख रूपए की राशि का बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा वचनबंध देगा कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् वह न्यूनतम तीन वर्ष की कालावधि के लिए सेवा करेगा, यदि ऊपर उल्लिखित कालावधि के पूर्व, वह सेवा से त्यागपत्र देता है या किसी अन्य रीति में सेवा छोड़ देता है, तो वह पांच लाख रूपए की राशि या तीन माह के वेतन तथा भत्ते, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा, शर्तों के भंग की स्थिति में बंधपत्र की सम्पूर्ण राशि समपहृत किए जाने के दायित्वाधीन होगा।"

(6) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडिकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(7) पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियाँ, इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएगी, परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएँगें तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

दो – **आवश्यक अर्हता** – कोई भी व्यक्ति **व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड** (प्रवेश स्तर) के पद के लिए अर्ह तभी होगा जब कि वह–

(1) भारत का नागरिक हो,

(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **विधि संकाय में स्नातक की उपाधि धारक हो या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो** और उसके पास आवश्यक दस्तावेज अंतिम दिनांक को मौजूद हो।

(3) वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसी शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

(4) आयु सीमा **1 जनवरी, 2021** को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

तीन – अनर्हताएँ –

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे स्थायी रूप से म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा :–

1. यदि किसी आवेदक या आवेदकों के द्वारा स्वयं के चयन हेतु समस्त भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (impersonation) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।

9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह आवेदक अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:–

(अ) पुरूष या महिला आवेदक जिनके विवाह के समय एक या अधिक पति/पत्नियाँ जीवित हों। परंतु, ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है, या

(ब) जो शारीरिक और मानसिक रूप से सेवा / पद हेतु स्वस्थ नहीं पाया जाए, या

(स) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(द) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, या

(ङ) जिसने विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम वैधानिक उम्र के पूर्व विवाह किया है, या

(च) नियुक्तिकर्ता की, आवेदक की इस संबंध में जाँच उपरांत संतुष्टि होने पर कि वह पद धारण करने अथवा सेवा हेतु योग्य नहीं है।

चार – उच्चतम आयु सीमा में छूट –

स.क्र.	संवर्ग	आयु सीमा
1.	**आरक्षित वर्ग** (अ.पि.वर्ग, अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के केवल म.प्र. के मूल निवासी एवं दिव्यांग आवेदकों हेतु)	उच्च आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की रियायत होगी
2.	म.प्र. शासन के किसी भी संवर्ग के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों हेतु	21 से 38 वर्ष

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

नोटः– 1. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तिथि पर 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा।

2. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।

पाँच – पोर्टल, जैमर व अन्य शुल्कों सहित परीक्षा शुल्क –

	ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा	
1.	**अनारक्षित** एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु	**रू.1047.82/–** [परीक्षा शुल्क रू.400 + पोर्टल शुल्क 577.02 (रू.335 + रू.154/– कोविड–19 व्यवस्था शुल्क (एस.डी..100) +18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु) + रू.60/– (जैमर शुल्क) +18 प्रतिशत जी.एस.टी.]
2.	**आरक्षित वर्ग** (अ.पि.वर्ग, अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के केवल म.प्र. के मूल निवासी एवं दिव्यांग आवेदकों हेतु)	**रू.647.82/–** [परीक्षा शुल्क रू.0 + पोर्टल शुल्क 577.02 (रू. 335 + रू.154/– कोविड–19 व्यवस्था शुल्क (एस.डी..100) +18 प्रतिशत जी.एस.टी. सर्विस प्रोवाइडर हेतु) + रू.60/– (जैमर शुल्क) +18 प्रतिशत जी.एस.टी.]
	मुख्य लिखित परीक्षा	
3.	मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे सभी आवेदकों हेतु।	**रू.283.20/–** [रू.60/– प्रति सत्र की दर से अनुमानित चार सत्रों हेतु जैमर शुल्क + 18 प्रतिशत जी.एस.टी.]

नोट :–(1) ऊपर वर्णित शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर आवेदक को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) आवेदक का आवेदन जमा तभी माना जायेगा, जब निर्धारित शुल्क का ट्राँजेक्शन सफलतापूर्वक हो चुका हो। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा मे वापस या समायोजित नहीं किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः आवेदक की होगी कि उसके द्वारा अपने स्वयं के वर्ग के अनुसार ही परीक्षा हेतु आवेदन व शुल्क निर्धारित तिथि व समय

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

तक या उसके पूर्व सफलतापूर्वक जमा करवा दिया जा चुका है। बैंकिंग (ऑनलाइन ट्राँजेक्शन) व अन्य किसी कारणवश यदि आवेदक का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि तक या में जमा नहीं हो पाते हैं तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

छः— ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि :—

(1) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **27 जनवरी, 2022 रात्रि 11:55 (P.M.) बजे तक** भरे जा सकते हैं।

(2) **कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।** आप निर्देश/विज्ञापन म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :—

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, आवेदक को उक्त वेबसाइट में जाकर "Recruitment/Result" टैब पर क्लिक करना होगा, उसके पश्चात् "Click Here - Online Application Forms/ Admit Cards" टैब/लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् परीक्षा का नाम तथा निम्नानुसार लिंक उपलब्ध होंगी :—

   1. Advertisement
   2. Registration
   3. Application

   सर्वप्रथम, आवेदक Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

   तत्पश्चात् **Registration** लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे आवेदक द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई.—मेल आई.डी. पर User-ID & Password भेजा जायेगा। **Registration Form** को पूर्ण करने से पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक प्रविष्टि में दिये गये समस्त विवरण सही व सत्य है।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

Registration करने के दौरान पॉप–अप विन्डो के माध्यम से एलर्ट की सूचना प्राप्त होगी तथा प्रविष्टियों के संबंध में चेक–बॉक्स के माध्यम से पुनः–चेक/पुनः–वेरीफिकेशन कराया जाता है। उक्तानुसार आवेदक प्रविष्टियों को सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही **Registration** पूर्ण करेंगे। एक बार **Registration** हो जाने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा। **Registration Form** को पूर्ण करने के दौरान त्रुटि होने की परिस्थिति में पुनः विवरण भरकर पुनः–रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

आवेदक द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई.–मेल आई.डी. पर User-ID & Password के द्वारा आवेदक Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। ऑनलाईन फार्म को पूरा भरने के उपरांत आवेदक फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। **रजिस्ट्रेशन व आवेदन की प्रत्येक प्रविष्टि अर्हताकारी/प्रमाणपत्र के अनुरुप होनी अनिवार्य है।**

आवेदन के Submit बटन को क्लिक करने से पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में दिये गये समस्त विवरण सही व सत्य है। उक्तानुसार आवेदक प्रविष्टियों को सही होना सुनिश्चित करने के उपरांत ही फार्म Submit करेंगे।

एक बार आवेदन (Application) Submit हो जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा एवं इस संबंध में अभ्यावेदन बिना कारण बताए नस्तीबद्ध माने जावेंगे।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक पेमेंट गेटवे द्वारा दिये गये भुगतान माध्यमों जैसे कि डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् **आवेदक अपने "ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों का प्रिंट आउट" प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें।** आवेदक **ऑनलाइन आवेदन के सभी पृष्ठों के प्रिंट आउट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें।**

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

परीक्षा के किसी स्तर में मांगें जाने पर ही आवेदक को ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :– कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022–61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।

3. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदक के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर फार्म **Submit** करने के उपरांत उसे ही सत्य व पूर्ण माना जावेगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन फार्म/पत्र में देने पर संबंधित आवेदक का फार्म एवं अभ्यर्थिता निरस्त मानी जायेगी।

4. परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को दिनांक 27 जनवरी, 2022 को रात्रि 11:55 (P.M.) बजे तक करना अनिवार्य है। भुगतान के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

5. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन अथवा आवेदन शुल्क स्वीकार्य नहीं होंगे। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर म.प्र. उच्च न्यायालय के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः आवेदक की ही मानी जावेगी।

खण्ड–''ब''

परीक्षा की योजना :– यह परीक्षा **तीन चरणों में सम्पन्न करायी जायेगी** :–

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा,
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

1. **ऑनलाइन प्रारंभिक (अनुवीक्षण) परीक्षा (150 अंक)**

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अगले किसी भी चरणों में नही जोड़ा जाएगा।

एक– **ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक, समय व केन्द्र** – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन सेवा प्रदाता के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से ली जायेगी। **परीक्षा की दिनाँक, समय, स्थान व केन्द्र प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किये जायेंगे**। आवेदकों को परीक्षा केन्द्र के राज्य/जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा, परंन्तु राज्य व जिले के बारे में अंतिम निर्णय ऑनलाइन सेवा प्रदाता का, आवेदकों की संख्या को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी आवेदक को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के संभावित जिले **जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन व अन्य राज्यों के चयनित जिले होंगे।** परीक्षा केन्द्र वाले राज्य/जिले के आबंटन के संबंध में ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

दो – **प्रवेश पत्र** – प्रवेश पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट (**www.mphc.gov.in**) पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं आवेदक को प्राप्त करना होगा। आवेदक अपने प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त कर सकेगे। प्रिंटआउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

तीन– **ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम** :–

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का **विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार** है :–

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

स. क्र.	विषय (नवीनतम संशोधनों के साथ)	कुल प्रश्न	अंक
1	भारत का संविधान	10	10
2	सिविल प्रक्रिया संहिता	15	15
3	संपत्ति अंतरण अधिनियम	7	7
4	भारतीय संविदा अधिनियम	8	8
5	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	6	6
6	परिसीमा अधिनियम	4	4
7	म.प्र.स्थान नियंत्रण अधिनियम	5	5
8	म.प्र. भू–राजस्व संहिता	5	5
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	15	15
10	भारतीय दंड संहिता	15	15
11	दंड प्रक्रिया संहिता	15	15
12	परक्राम्य लिखत अधिनियम	5	5
13	सामान्य ज्ञान	20	20
14	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
	कुल	150	150

नोट – यह सभी अधिनियम जैसे कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक संशोधित हों।

चार – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया :–

(1) ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे। प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आवेदक की सुविधा हेतु उपलब्ध होंगे। आवेदक प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले प्रश्न पर वापस जा सकेगा। इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय–सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी। दिव्यांग आवेदकों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ.नं. 34–02/2015–डीडी–III दिनांक 29.08.2018 एवं मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 273/2021 (विकास कुमार वि. यू.पी.एस.

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

सी. एवं अन्य) (2021 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 84) में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। **इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।**

(2) **Mock Test** (परीक्षा अभ्यास)– आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर Mock Test (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन एवं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जावेगा। पहचान पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।

(4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक–एक कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया जावेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।

(5) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान आवेदक के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(6) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर /विकल्प दिखेंगे। आवेदक इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सुरक्षित (save) कर सकता है। सुरक्षित (save) करने के बाद उत्तर में सुधार या परिवर्तन भी कर सकता है, परंतु फाइनल Submit के पश्चात् उत्तर में सुधार या परिवर्तन संभव नहीं होगा।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

पाँच – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम :–

(1) परीक्षा होने के उपरान्त प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key), म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध होगा। यदि कोई आवेदक प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संदर्भ में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे वेबसाइट पर प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के भीतर स्वयं द्वारा लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अभ्यावेदन स्वतः उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा रजिस्ट्रार (परीक्षा), म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबोधित करते हुए आपत्ति/सुझाव जिस पर आधारित है, उससे सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की आवक शाखा (Inward Section) में प्रस्तुत करना होगा।

ऐसा कोई अभ्यावेदन जो आवेदक ने स्वयं नहीं किया हो या बिना किसी दस्तावेजों/स्रोतों के हों या निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त हुआ हो, पर विचार नहीं किया जायेगा तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त माना जावेगा। यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) के संबंध में कोई आपत्ति(याँ) प्राप्त नहीं होती हैं तो प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) को ही अंतिम आदर्श उत्तर कुंजी (Final Model Anser Key) मानते हुए उसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।

(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कम्प्यूटर आधारित होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम लगभग 10 गुना (जो कम हो सकते है) आवेदक वर्गवार (categorywise) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये योग्य/सफल

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

घोषित किये जावेंगे, परन्तु समान अंक पाने वाले आवेदकों को भी शामिल किया जायेगा भले ही इस कारण उनकी संख्या 10 गुना से कुछ अधिक हो जाये, परन्तु यह भी कि **प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के आवेदकों को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।**

(3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये आवेदकों की वर्गवार (categorywise) लिस्ट, म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर, इस सूचना के साथ अपलोड की जायेगी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। आवेदक अपना परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक अपनी ID एवं Password तथा अपने मोबाइल नंबर पर आये OTP से Login कर देख सकता है।

छः – आवश्यक सूचना :–

(1) आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केन्द्र पर **परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड–19 के कारण कॉल लेटर में दिये समय पर उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।**

(2) आवेदक का **बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जायेगा।**

(3) आवेदक द्वारा **निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र के कक्ष में उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि व समय परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगी।**

(4) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केल्कुलेटर, मोबाइल फोन, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच तथा संचारी यंत्र इत्यादि ले जाना वर्जित होगा।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

आवेदक अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेन्सिल, फेस मास्क एवं सेनिटाइजर की छोटी शीशी ले जा सकेगा।

(5) आवेदक परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केन्द्र से बाहर निकल सकेगा।

(6) **नकल प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने अथवा अनुचित साधन अपनाये जाने, पर उसे स्थायी रूप से म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा।**

(7) अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किये जाएंगे ।

2—मुख्य परीक्षा (400 अंक)

एक—(1) **मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र** — मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रति के साथ, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये गये आवेदकों से बुलाये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल आवेदक को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की आवक शाखा (Inward Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा। उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे आवेदक को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही उसने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) **प्रवेश पत्र — मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र** ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं आवेदक को प्राप्त करना होगा। प्रिंटआउट

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

की सुविधा मुख्य परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

दो – मुख्य परीक्षा की तिथि : बाद में अधिसूचित की जावेगी जो लगातार दो या अधिक दिनों में दो पालियों (shifts) में होगी।

तीन –मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम –

मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 04 (चार) प्रश्न पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल करना होगा। दिव्यांग आवेदकों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ.नं. 34–02/2015–डीडी–III दिनांक 29.08.2018 एवं मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 273/2021 (विकास कुमार वि. यू.पी.एस.सी. एवं अन्य) (2021 एस.सी.सी. ऑनलाईन एस.सी. 84) में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 के निर्देशानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी। मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी, वह लगातार दो या अधिक दिनों में दो–दो पालियों (shifts) में संपन्न कराई जावेगी। पहले दिन प्रथम पाली (shift) में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली (shift) में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम पाली (shift) में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली (shift) में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। आवेदक का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि आवेदक किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर–पुस्तिका(ओं) का मूल्याँकन नहीं किया जायेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त माना जावेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र – प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :–

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
6. परिसीमा अधिनियम, 1963

(ब) **<u>द्वितीय प्रश्न पत्र</u> – द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1. लेख सामाजिक विषय पर – 20 अंक
2. लेख विधिक विषय पर – 20 अंक
3. संक्षिप्तिकरण लेखन (विधिक) – 20 अंक
4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद – 20 अंक
5. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद – 20 अंक

(स) **<u>तृतीय प्रश्न पत्र</u> – तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1. भारतीय दंड संहिता, 1860
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 (अध्याय 13 से 17 तक)
5. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959
6. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

(द) **<u>चतुर्थ प्रश्न पत्र</u> – चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1. विवाद्यकों का स्थिरीकरण – 10 अंक
2. आरोपों की विरचना – 10 अंक
3. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन – 40 अंक
4. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन – 40 अंक

<u>नोट</u>– 1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।

2. संक्षिप्तिकरण लेखन, के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-sheet) /परिवाद पत्र (Complaint) आदि की विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा सकेगी और आवेदक से उसके एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के प्रश्न में होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा।

4. सभी प्रश्न–पत्रों की उत्तर–पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी आवेदक के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न हल करते समय वही प्रश्न क्रमांक उत्तर पुस्तिका में डालना आवश्यक है, जिसका उत्तर दिया जा रहा है।

5. आवेदक उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित नहीं करेंगे, जिससे कि आवेदक की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में आवेदक न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर "क, ख, ग" अथवा "अ, ब, स" का उल्लेख करेंगे। नाम का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

चार– मुख्य परीक्षा का परिणाम :–

1. मुख्य परीक्षा में सभी चार प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से वर्गवार विज्ञप्तित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना (जो कम हो सकती है) मेरिट में एवं समान अंक प्राप्त आवेदक को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किये जायेंगे।

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

नोट—1. प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा से संबंधित पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

3. साक्षात्कार

एक— **साक्षात्कार** —मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। आवेदकों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्थात् 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

दो— **अंतिम चयन का आधार** — अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में म.प्र. उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। प्रत्येक वर्ग मे **अंक बराबर होने की दशा में साक्षात्कार में अधिक अंक पाने वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी। साक्षात्कार में भी समान अंक होने पर उम्र की वरीयता चयन का आधार होगी।**

तीन— साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।

खण्ड—"स"

एक— **अनुचित साधन** :—

परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप/गतिविधि में आवेदक को संलिप्त रहने पर, उसके द्वारा अनुचित

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

साधन (Unfair Means) का उपयोग माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी **उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे स्थायी रूप से म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा :–**

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य आवेदक से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।

(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या आवेदक के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(5) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुँचाना।

(7) **नकल प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिया जाना।**

परीक्षा सम्बन्धी अन्य निर्देश :–

1. परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परीक्षा के समय अनुचित साधन का उपयोग/प्रयास करना, दी गई उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
3. उत्तरपुस्तिका पर आवेदक केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक, धार्मिक शब्द या चिन्ह या पहचान का कोई निशान अंकित करना, जिससे कि आवेदक की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है, इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

4. परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, अन्य संचारी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस उपकरण (device) लाना वर्जित है।

5. आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उसके आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति पत्रक पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किये गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए, इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

दो– **अंक सूची**–

अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा अथवा/तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सूची म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी। ऐसे आवेदक, जिनकी उम्मीदवारी पहचान चिन्ह अंकित करने अथवा अन्य किसी कारण से निरस्त कर दी गई हो, को अंकसूची जारी नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि **परीक्षा में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।**

तीन – **यात्रा व्यय का भुगतान**– आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है।

चार – **शुद्धि पत्र** – भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत किसी भी समय यदि किसी भी स्पष्टीकरण, संशोधन आदि को उच्च न्यायालय की ओर से किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर शुद्धि पत्र को जारी करके किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/

जारी शुद्धि पत्र को सभी आवेदकों के लिए पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जाएगा और इस आधार पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी कि आवेदक को इस तरह के शुद्धि पत्र की कोई जानकारी नहीं थी।

पाँच – सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :–

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा के उपरांत 03 माह की अवधि तेक आवेदक के प्राप्तांक तथा उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट (www.mphc.gov.in) पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिन्हें आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किये गये क्रेडेंशियल्स अंकित कर देख व उसका प्रिंट प्राप्त कर सकेगा। तत्पश्चात् उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) परिरक्षित नहीं रखी जाएगी।

आवेदक अपनी स्वयं की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Books) की सत्यापित प्रतिलिपि या उससे संबंधित जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय के आर.टी.आई. अनुभाग से विहित शुल्क अदा कर "सूचना के अधिकार" के अंतर्गत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् चयनित आवेदकों की अनुशंसा विधि विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आर.टी.आई. आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

छः – विनष्टीकरण – परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं, आवेदन–पत्रों (अंतिम रूप से चयनित आवेदकों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री, चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दी जावेगी। सक्षम प्राधिकारी या माननीय न्यायालय के आदेश से या माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित होने पर ही संबंधित रिकार्ड सुरक्षित रखा जावेगा।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

https://www.freshersnow.com/mp-high-court-recruitment-notification/